UPSR040012372026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/603/2026

राज्य बनाम. विनोद कुमार

दिनांक–10.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा संख्या–2263/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना इकौना जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **विनोद कुमार** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे फर्जी तंग व परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र आ चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

अतः अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।